

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com, ☎ (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक -2266 / 12-1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 69/02/2026.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित नरसिंह डाडा से भगीना भण्डारी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.42 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव सं०- 18336/2016)


सन्दर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) देहरादून की पत्र सं०-08 बी/यू०सी०पी०/०६/१६९/२०१९/एफ०सी०/२०३४ दिनांक 18.12.2020

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के संबंध में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत के पत्रांक 2887/12-1 दिनांक-14.01.2026 द्वारा उपलब्ध करायी गयी है, जिसे आपके सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है। कृपया अग्रेत्तर कार्यवाही करना चाहें।

संलग्न- उपरोक्तानुसार तीन प्रतियों में।

भवदीय


(चन्द्र शेखर जोशी)
वन संरक्षक,

उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत

Email-dfo.champawat@rediffmail.com / Fax-(05965)230180



पत्रांक 2887 / 12-1

दिनांक 14-1-2026

सेवा में

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड।

विषय:-

जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित नरसिंह डाडा से भगीना भण्डारी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.42 हे० वनभूमि का गैर वानिक कार्यों हेतु ग्राम विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।
(ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या- FP/UK/ROAD/18336/2016)

संदर्भ:-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक:-08बी/यू०सी०पी०/०६/१६९/२०१९/एफ०सी०/२०३४, दिनांक 28.12.2020।
2. कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इंदिरानगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक:-FP/UK/ROAD/18336/2016 दिनांक 16 मार्च, 2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण को भारत सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त है। अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक 2058/12-1, दिनांक 27.01.2022 द्वारा प्रेषित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या में अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इंदिरानगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून के संदर्भित पत्र द्वारा कुछ बिन्दुओं की आपत्तियां लगाई गयी थी। चूंकि आपत्तियों का सम्बन्ध सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित शर्तों से ही था। अतः प्रयोक्ता एजेंसी के पत्रांक 30प्र०जो०/453/25-26/448, दिनांक 27.10.2025 द्वारा अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या पुनः निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है:-


| क्र०सं० | अनुपालन आख्या की शर्तें | अनुपालन आख्या |
|---------|---|--|
| 1. | वन भूमि की विधिक परिस्थिति अपरिवर्तित रहेगी। | वन भूमि की विधिक स्थिति नहीं बदली जाएगी। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इससे सम्बन्धित शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। (संलग्नक -1) |
| 2. | परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी। | परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इससे सम्बन्धित शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। (संलग्नक -2) |
| 3. | प्रतिपूरक वनीकरण | |
| | क- वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 6.84 हे० गैर वानिकी भूमि ग्राम सुल्ला खसरा नं० 2996 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहा तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लान्टेशन से बचा जाए। | क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूमि किसी अन्य प्रयोजन में प्रयुक्त हो जाने के कारण उपलब्ध नहीं हो पायी अतः राजस्व विभाग द्वारा उक्त क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अन्यत्र वन पंचायत पल्सों के खतौनी संख्या 163 खेत / खसरा संख्या 14 एवं 18 में कुल 6.840 हे० भूमि उपलब्ध करायी गयी है जिसका राजस्व विभाग, वन विभाग, प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा संयुक्त निरीक्षण कर KML File एवं उपयुक्तता प्रमाण पत्र, जियोरिफेंस मैप, टोपोग्राफिक मैप एवं प्राक्कलन प्रस्तुत किया जा रहा है अतः उक्त नवीन उपलब्ध प्रस्तावित भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए प्रयोग किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें। (संलग्नक -3) 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 4 |

| | |
|--|---|
| <p>ख- गैर चानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जायेगा। भूमि के हस्तांतरण, नामांतरण एवं Notification करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर हैं एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किए गए हैं को वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरण एवं नामांतरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित / सारक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।</p> | <p>क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूमि किसी अन्य प्रयोजन में प्रयुक्त हो जाने के कारण उपलब्ध नहीं हो पायी अतः राजस्व विभाग द्वारा उक्त क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अन्यत्र वन पंचायत पत्नों के खतौनी संख्या 163 खेत / खसरा संख्या 14 एवं 18 में कुल 6.840 हे० भूमि उपलब्ध करायी गयी है जिसका राजस्व विभाग, वन विभाग, प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा संयुक्त निरीक्षण कर KML File एवं उपयुक्तता प्रमाण पत्र, जियोरिफेंस मैप, टोपोग्राफिक मैप एवं प्राक्कलन प्रस्तुत किया जा रहा है अतः उक्त नवीन उपलब्ध प्रस्तावित भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए प्रयोग किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।</p> |
| <p>ग- वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।</p> | <p>क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूमि किसी अन्य प्रयोजन में प्रयुक्त हो जाने के कारण उपलब्ध नहीं हो पायी।</p> |
| <p>4. शुद्ध वर्तमान मूल्य क- इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1996-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 3.42 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।</p> | <p>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव के तहत 3.42 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य जमा कर दिया है। रसीद संलग्न हैं। (संलग्नक-5,6,7,8)</p> |
| <p>ख- विशेष समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।</p> | <p>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। (संलग्नक -9)</p> |
| <p>5. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 167 trees and 47 saplings से अधिक नहीं होगी तथा पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।</p> | <p>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। (संलग्नक -10)</p> |
| <p>6. परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानान्तरित / जमा किए जाएंगे।</p> | <p>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। (संलग्नक -11)</p> |
| <p>7. गाइडलाइंस में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किए गए आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की</p> | <p>अधोहस्ताक्षरी कार्यालय से वृक्षों के कटान कार्य के लिए वन विकास निगम को जारी पत्र की छायाप्रति संलग्न है। साथ ही इसकी कड़ाई से निगरानी की गई और यह सुनिश्चित किया गया कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जायेगी। (संलग्नक -12)</p> |


| | | |
|-----|---|---|
| | दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जायेगी। | |
| 8. | एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त से सम्बन्धित शपथ पत्र प्रस्तुत किया है।(संलग्नक -13) |
| 9. | प्रयोक्ता अभिकरण आईआर सी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त से सम्बन्धित शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।(संलग्नक -14) |
| 10. | संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाये जायेंगे। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त से सम्बन्धित शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।(संलग्नक -15) |
| 11. | पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त से सम्बन्धित शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।(संलग्नक -16) |
| 12. | केंद्र सरकार की पूर्वानुमती के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त से सम्बन्धित शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।(संलग्नक -17) |
| 13. | वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त से सम्बन्धित शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।(संलग्नक -18) |
| 14. | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्तीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त से सम्बन्धित शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।(संलग्नक -19) |
| 15. | संबन्धित-प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त से सम्बन्धित शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।(संलग्नक -20) |
| 16. | परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त से सम्बन्धित शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।(संलग्नक -21) |
| 17. | वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त से सम्बन्धित शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।(संलग्नक -22) |
| 18. | केंद्र सरकार की पूर्वानुमती के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सियों, विभागों अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जायेगी। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त से सम्बन्धित शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।(संलग्नक -23) |
| 19. | इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त से सम्बन्धित शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।(संलग्नक -24) |
| 20. | पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगी। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त से सम्बन्धित शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।(संलग्नक -25) |
| 21. | प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलबे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा उपयुक्त प्रजातियों के पोषे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलबे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त से सम्बन्धित शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।(संलग्नक -26) |

| | |
|--|--|
| | <p>तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।</p> |
| <p>22. यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी। यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।</p> | <p>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त से सम्बंधित शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। (संलग्नक -27)</p> |


अतः अनुरोध है कि उक्त प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु अपने स्तर से उच्च स्तर को प्रेषित करने की कृपा करें।
संलग्नक :- उपरोक्तानुसार(4 प्रतियों में।)

भवदीय

 (आशुतोष सिंह)
 प्रभागीय वनाधिकारी,
 चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

पत्रांक 2887/12-1 तददिनांकित।
 प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी, चम्पावत को सूचनार्थ प्रेषित।


 (आशुतोष सिंह)
 प्रभागीय वनाधिकारी,
 चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

पत्रांक 2887/12-1 तददिनांकित।
 प्रतिलिपि:- प्रबन्धक, पी0आई0यू0, चम्पावत, एन0पी0सी0सी0लि0 को सूचनार्थ प्रेषित।


 (आशुतोष सिंह)
 प्रभागीय वनाधिकारी,
 चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

परियोजना का नाम :- जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत प्रस्तावित नरसिंह डाडा से भगीना सण्डारी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.42 हे० वनभूमि का गैर यानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल पल्लरी वन पंचायत, चम्पावत रेंज, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत, कुल क्षेत्रफल 6.84 हे०

क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना
(वर्ष 2025 - 26)

| रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या :- (1100 पौधे प्रति हे०) (कुल पौधे 9029) | | | | | |
|---|---|----------------------------|-----------|----------|-----------|
| 1100 पौधे का रोपण | | अध्याय -2 वृक्षारोपण कार्य | | | |
| क्र.सं. | कार्य विवरण | ईकाई | क्षेत्रफल | दर | घनराशि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | प्रथम वर्ष- अग्रिम मृदा कार्य | | | | |
| 1 | साईड स्पेसिफिक प्लान (सर्वे डिमाकेशन, के०एम०एल० फाईल तैयार करना, रूट स्टॉक की गणना कार्य, मृदा परीक्षण कार्य) | प्रति हे० | 6.84 | 1453.00 | 9938.52 |
| 2 | क्षेत्र की सफाई | प्रति हे० | 6.84 | 1259.00 | 8611.56 |
| 3 | घेरबाड़ कार्य | | | | |
| 4 | कुली वाल (100 घ०मी० प्रति हे० 193 र०मी० प्रति हे०) नोट - यह 67900 प्रति हे० घेरबाड़ व्यय तारबाड़ करने पर भी लागू होगा। $1 \times 0.45 \times 1.15$ दर औसत $(628+730)/2$ | प्रति घ०मी० | 684 | 679.00 | 464436.00 |
| 5 | पौध की कीमत (20 प्रतिशत क्षतिपूरक सहित) 1320 पौध | प्रति पौध | 9029 | 15.90 | 143561.10 |
| 6 | गडडा खुदान कार्य (0.30x0.30x0.45) | प्रति गडडा | 9029 | 15.80 | 142658.20 |
| 7 | भूमि संरक्षण कार्य 1-कन्टूर फर्रे 450 र०मी० (450x235=15750) (औसत साईज- $1 \times 0.30 \times 0.30$) 2- चाल-खाल 2 सं० (2x6500=13000) (औसत साईज- $4 \times 2.5 \times 1.00$) कुल योग-28750 | प्रति हे० | 6.84 | 28750.00 | 196650.00 |
| 8 | निरीक्षण बटिया | प्रति हे० | 6.84 | 1046.00 | 7154.64 |
| | उप-योग | | | | 973010.02 |
| 9 | वनीकरण क्षेत्र में अन्य वानस्पतिक मू० एवं जल संरक्षण विकास एवं अनुसंरक्षण कार्य -2 प्रतिशत | प्रति हे० | - | - | 19460.20 |
| 10 | मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण- 0.50 प्रतिशत | | | | 4865.05 |
| 11 | भ्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य - 0.50 प्रतिशत | | | | 4865.05 |
| 12 | अन्य आकस्मिक व्यय - 2 प्रतिशत | | | | 19460.20 |

| प्रथम वर्ष का योग | | | | 1021660.52 | |
|--------------------------------|--|-------------|------|------------|-----------|
| द्वितीय वर्ष- वृक्षारोपण कार्य | | | | | |
| 1 | गडडा भरान | | | | |
| 2 | कन्दूर फरों में बीज बुआई | प्रति गडडा | 9029 | 2.48 | 22391.92 |
| 3 | पौध की कीमत (20 प्रतिशत क्षतिपूरक सहित) 1320 पौध | प्रति २०मी० | 3078 | 1.50 | 4617.00 |
| 4 | पौध डुलान (20 प्रतिशत क्षतिपूरक सहित) 1320 पौध | प्रति पौध | 9029 | 2.70 | 24378.30 |
| 5 | वाहन द्वारा 50 किमी० दूरी से लोडिंग व अनलोडिंग सहित | प्रति पौध | 9029 | 12.17 | 109882.93 |
| 6 | सिरबोझ डुलान 3 कि०मी० | प्रति पौध | 9029 | 8.16 | 73676.64 |
| 7 | पौध रोपण | प्रति पौध | 9029 | 4.44 | 40088.76 |
| 8 | निराई-गुड़ाई प्रथम बार | प्रति पौध | 9029 | 1.64 | 14807.56 |
| 9 | निराई-गुड़ाई द्वितीय बार | प्रति पौध | 9029 | 1.64 | 14807.56 |
| 10 | खाद/रसायन | प्रति पौध | 9029 | 0.05 | 406.31 |
| 11 | देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 8 माह (कम से कम 5 है० पर) (12855 दर से 8 माह)/5 है० = 20568 | | | | |
| 12 | 5 है० तक वृक्षारोपण - | प्रति है० | 6.84 | 20568.00 | 140685.12 |
| 13 | 6 है० से 10 है० तक तक वृक्षारोपण - | | | | |
| 14 | 10 है० से 20 है० तक तक वृक्षारोपण - | | | | |
| 15 | सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना | प्रति है० | 6.84 | 318.00 | 2175.12 |
| 16 | वृक्षारोपण अन्तर्गत प्राकृतिक रूप से उगे पौधों में सिगलिंग-प्रूनिंग व थावलादनी कार्य (100 प्रति है०) | प्रति है० | 6.84 | 26.67 | 182.42 |
| 17 | वृक्षारोपण क्षेत्र अन्तर्गत नालों में सैलिवस आदि प्रति है० 450 कटिंग का रोपण कार्य | प्रति है० | 6.84 | 1.50 | 10.26 |
| उप-योग | | | | | |
| 18 | मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण- 1 प्रतिशत | | | | 448109.90 |
| | | | | | 4481.10 |
| 19 | श्रम कल्याण कार्य-0.50 प्रतिशत | | | | |
| 20 | अन्य आकस्मिक व्यय - 2 प्रतिशत | | | | 2240.55 |
| 21 | साईन बोर्ड लगाना (3x4फीट) कम्प्लीट कार्य | | | | 8962.20 |
| द्वितीय वर्ष का योग | | | | L.S. | 1000.00 |
| | | | | | 464793.74 |

| तृतीय वर्ष-अनुरक्षण कार्य | | | | | |
|----------------------------|---|-----------|------|----------|-----------|
| 1 | देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है० पर) (12855 दर से 12 माह)/5 है० = 30852 | | | | |
| 2 | 5 है० तक वृक्षारोपण - | प्रति है० | 6.84 | 30852.00 | 211027.68 |
| 3 | 6 है० से 10 है० तक तक वृक्षारोपण - | | | | |
| 4 | 10 है० से 20 है० तक तक वृक्षारोपण - | | | | |
| 5 | 20 प्रतिशत पौधों की क्षतिपूर्ति (पौध की कीमत व दुलान का व्यय विभागीय तथा रोपण कार्य रोपण श्रमिक द्वारा किया जायेगा) | प्रति पौध | 9029 | 38.93 | 351498.97 |
| 6 | निराई-गुड़ाई मल्विंग थावलाबन्दी प्रथम बार | प्रति पौध | 9029 | 1.64 | 14807.56 |
| 7 | निराई-गुड़ाई मल्विंग थावलाबन्दी द्वितीय बार | प्रति पौध | 9029 | 1.64 | 14807.56 |
| 8 | सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना | प्रति है० | 6.84 | 318.00 | 2175.12 |
| | उप-योग | | | | 594316.89 |
| 9 | मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण-1 प्रतिशत | | | | 5943.17 |
| 10 | श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत | | | | 2971.58 |
| 11 | अन्य आकरिमक व्यय - 2 प्रतिशत | | | | 11886.34 |
| | तृतीय वर्ष का योग | | | | 615117.98 |
| चतुर्थ वर्ष-अनुरक्षण कार्य | | | | | |
| 1 | देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है० | | | | |
| 2 | 5 है० तक वृक्षारोपण - | प्रति है० | 6.84 | 30852.00 | 211027.68 |
| 3 | 6 है० से 10 है० तक तक वृक्षारोपण - | | | | |
| 4 | 10 है० से 20 है० तक तक वृक्षारोपण - | | | | |
| 5 | सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना | प्रति है० | 6.84 | 318.00 | 2175.12 |
| | उप-योग | | | | 213202.80 |
| 6 | मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण-1 प्रतिशत | | | | 2132.03 |
| 7 | श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत | | | | 1066.01 |
| 8 | अन्य आकरिमक व्यय - 2 प्रतिशत | | | | 4264.06 |
| | चतुर्थ वर्ष का योग | | | | 220664.90 |

| पंचम वर्ष-अनुरक्षण कार्य | | | | | |
|---------------------------|--|-----------|------|----------|-----------|
| 1 | देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है० | | | | |
| 2 | 5 है० तक वृक्षारोपण - | प्रति है० | 6.84 | 30852.00 | 211027.68 |
| 3 | 6 है० से 10 है० तक तक वृक्षारोपण - | | | | |
| 4 | 10 है० से 20 है० तक तक वृक्षारोपण - | | | | |
| 5 | सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना | प्रति है० | 6.84 | 318.00 | 2175.12 |
| | उप-योग | | | | 213202.80 |
| 6 | मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण-1 प्रतिशत | प्रति है० | 6.84 | 1.56 | 2132.03 |
| 7 | श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत | प्रति है० | 6.84 | 0.78 | 1066.01 |
| 8 | अन्य आकरिमक व्यय - 2 प्रतिशत | प्रति है० | 6.84 | 3.12 | 4264.06 |
| | पंचम वर्ष का योग | | | | 220664.90 |
| षष्ठम वर्ष-अनुरक्षण कार्य | | | | | |
| 1 | देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है० | | | | |
| 2 | 5 है० तक वृक्षारोपण - | प्रति है० | 6.84 | 30852.00 | 211027.68 |
| 3 | 6 है० से 10 है० तक तक वृक्षारोपण - | | | | |
| 4 | 10 है० से 20 है० तक तक वृक्षारोपण - | | | | |
| 5 | सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना | प्रति है० | 6.84 | 318.00 | 2175.12 |
| | उप-योग | | | | 213202.80 |
| 6 | मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण-1 प्रतिशत | | | | 2132.03 |
| 7 | श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत | | | | 1066.01 |
| 8 | अन्य आकरिमक व्यय - 2 प्रतिशत | | | | 4264.06 |
| | षष्ठम वर्ष का योग | | | | 220664.90 |
| सप्तम वर्ष-अनुरक्षण कार्य | | | | | |
| 1 | देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है० | | | | |
| 2 | 5 है० तक वृक्षारोपण - | प्रति है० | 6.84 | 30852.00 | 211027.68 |
| 3 | 6 है० से 10 है० तक तक वृक्षारोपण - | | | | |
| 4 | 10 है० से 20 है० तक तक वृक्षारोपण - | | | | |
| 5 | सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना | प्रति है० | 6.84 | 318.00 | 2175.12 |
| | उप-योग | | | | 213202.80 |
| 6 | मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण-1 प्रतिशत | | | | 2132.03 |
| 7 | श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत | | | | 22386.29 |
| 8 | अन्य आकरिमक व्यय - 2 प्रतिशत | | | | 4264.06 |
| | सप्तम वर्ष का योग | | | | 241985.18 |

| अष्टम वर्ष-अनुरक्षण कार्य | | | | |
|---------------------------|--|-----------|------|-----------|
| 1 | देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है० | | | |
| 2 | 5 है० तक वृक्षारोपण - | प्रति है० | 6.84 | 30852.00 |
| 3 | 6 है० से 10 है० तक तक वृक्षारोपण - | | | |
| 4 | 10 है० से 20 है० तक तक वृक्षारोपण - | | | |
| 5 | सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना | प्रति है० | 6.84 | 318.00 |
| | उप-योग | | | 213202.80 |
| 6 | मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण-1 प्रतिशत | | | 2132.03 |
| 7 | श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत | | | 1066.01 |
| 8 | अन्य आकारिमक व्यय - 2 प्रतिशत | | | 4264.06 |
| | अष्टम वर्ष का योग | | | 220664.90 |
| नवम वर्ष-अनुरक्षण कार्य | | | | |
| 1 | देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है० | | | |
| 2 | 5 है० तक वृक्षारोपण - | प्रति है० | 6.84 | 30852.00 |
| 3 | 6 है० से 10 है० तक तक वृक्षारोपण - | | | |
| 4 | 10 है० से 20 है० तक तक वृक्षारोपण - | | | |
| 5 | सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना | प्रति है० | 6.84 | 318.00 |
| | उप-योग | | | 213202.80 |
| 6 | मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण-1 प्रतिशत | | | 2132.03 |
| 7 | श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत | | | 1066.01 |
| 8 | अन्य आकारिमक व्यय - 2 प्रतिशत | | | 4264.06 |
| | नवम वर्ष का योग | | | 220664.90 |
| दशम वर्ष-अनुरक्षण कार्य | | | | |
| 1 | देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है० | | | |
| 2 | 5 है० तक वृक्षारोपण - | प्रति है० | 6.84 | 30852.00 |
| 3 | 6 है० से 10 है० तक तक वृक्षारोपण - | | | |
| 4 | 10 है० से 20 है० तक तक वृक्षारोपण - | | | |
| 5 | सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना | प्रति है० | 6.84 | 318.00 |
| | उप-योग | | | 213202.80 |
| 6 | मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण-1 प्रतिशत | | | 2132.03 |
| 7 | श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत | | | 1066.01 |
| 8 | अन्य आकारिमक व्यय - 2 प्रतिशत | | | 4264.06 |
| | दशम वर्ष का योग | | | 220664.90 |

| एकादश वर्ष-अनुरक्षण कार्य | | | | | |
|----------------------------|--|-----------|------|----------|------------|
| 1 | देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है० | | | | |
| 2 | 5 है० तक वृक्षारोपण - | प्रति है० | 6.84 | 30852.00 | 211027.68 |
| 3 | 6 है० से 10 है० तक तक वृक्षारोपण - | | | | |
| 4 | 10 है० से 20 है० तक तक वृक्षारोपण - | | | | |
| 5 | सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना | प्रति है० | 6.84 | 318.00 | 2175.12 |
| | उप-योग | | | | 213202.80 |
| 6 | मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण-1 प्रतिशत | | | | 2132.03 |
| 7 | श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत | | | | 1066.01 |
| 8 | अन्य आकस्मिक व्यय - 2 प्रतिशत | | | | 4264.06 |
| | एकादश वर्ष का योग | | | | 220664.90 |
| द्वादश वर्ष-अनुरक्षण कार्य | | | | | |
| 1 | देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है० | | | | |
| 2 | 5 है० तक वृक्षारोपण - | प्रति है० | 6.84 | 30852.00 | 211027.68 |
| 3 | 6 है० से 10 है० तक तक वृक्षारोपण - | | | | |
| 4 | 10 है० से 20 है० तक तक वृक्षारोपण - | | | | |
| 5 | सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना | प्रति है० | 6.84 | 318.00 | 2175.12 |
| | उप-योग | | | | 213202.80 |
| 6 | मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण-1 प्रतिशत | | | | 2132.03 |
| 7 | श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत | | | | 1066.01 |
| 8 | अन्य आकस्मिक व्यय - 2 प्रतिशत | | | | 4264.06 |
| | द्वादश वर्ष का योग | | | | 220664.90 |
| व्यय सार-: | | | | | |
| 1 | प्रथम वर्ष-अग्रिम मृदा कार्य | प्रति है० | | | 1021660.52 |
| 2 | द्वितीय वर्ष-वृक्षारोपण कार्य | प्रति है० | | | 464793.74 |
| 3 | तृतीय वर्ष- अनुरक्षण कार्य (प्रथम वर्ष) | प्रति है० | | | 615117.98 |
| 4 | चतुर्थ वर्ष- अनुरक्षण कार्य (द्वितीय वर्ष) | प्रति है० | | | 220664.90 |
| 5 | पंचम वर्ष- अनुरक्षण कार्य (तृतीय वर्ष) | प्रति है० | | | 220664.90 |
| 6 | षष्ठम वर्ष- अनुरक्षण कार्य (चतुर्थ वर्ष) | प्रति है० | | | 220664.90 |
| 7 | साप्तम वर्ष- अनुरक्षण कार्य (पंचम वर्ष) | प्रति है० | | | 241985.18 |
| 8 | अष्टम वर्ष- अनुरक्षण कार्य (षष्ठम वर्ष) | प्रति है० | | | 220664.90 |
| 9 | नवम वर्ष- अनुरक्षण कार्य (साप्तम वर्ष) | प्रति है० | | | 220664.90 |
| 10 | दशम वर्ष- अनुरक्षण कार्य (अष्टम वर्ष) | प्रति है० | | | 220664.90 |
| 11 | एकादश वर्ष- अनुरक्षण कार्य (नवम वर्ष) | प्रति है० | | | 220664.90 |
| 12 | द्वादश वर्ष- अनुरक्षण कार्य (दशम वर्ष) | प्रति है० | | | 220664.90 |
| | साम्पूर्ण योग | | | | 4108876.61 |

प्रभागीय वन अधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत

वन क्षेत्राधिकारी
चम्पावत वन क्षेत्र

(महेश चौड़ाकोटी)
वन दरोगा
चम्पावत अनुभाग

परि योजना का नाम:- जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत प्रस्तावित नरसिंह डाडा से भगीना भण्डारी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.42 हे० वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत प्रस्तावित नरसिंह डाडा से भगीना भण्डारी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.42 हे० वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन पंचायत पत्सौ में चयनित 6.84 हे० भूमि 1100 पौध/हेक्टेयर की दर से वृक्षारोपण हेतु सर्वदा उपयुक्त है।


श्रीराम पाण्डेय
(श्रीराम पाण्डेय)
०० सी०५०
चम्पावत

मोहित
(मोहित चौड़ाकोठी)
अनुभाग अधिकारी
चम्पावत अनुभाग


[Signature]
वन क्षेत्राधिकारी
चम्पावत वन क्षेत्र

[Signature]
प्रभारी वन अधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत

डिजिटल मैप:-जनपद चम्पावत में पी०एम०जी०एस०वाई० के अंतर्गत नरसिंह डाडा से भागीना भण्डारी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल (कुल क्षेत्रफल 6.84 हे०)



SOI Toposheet No: 62 C/03





| Legend | |
|--------|---------------------|
| | Range Boundary |
| | Reserve Forest Area |
| | Division Boundary |
| | Proposed Land |

Handwritten signatures and stamps, including a circular official stamp at the bottom.

वन क्षेत्राधिकारी
चम्पावत वन क्षेत्र

प्रधानीय वन अधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत

जियोरेफेरन्स मैप :- जनपद चम्पावत में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अंतर्गत नरसिंह डाडा से भागीना भण्डारी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल (कुल क्षेत्रफल 6.84 हे0)



| Co-ordinates of Plantation Site | | |
|---------------------------------|-----------------|------------------|
| Id | Longitude | Latitude |
| 1 | 80° 4' 9.34" E | 29° 19' 2.02" N |
| 2 | 80° 4' 11" E | 29° 19' 2.16" N |
| 3 | 80° 4' 10.77" E | 29° 19' 3.81" N |
| 4 | 80° 4' 9.79" E | 29° 19' 5.59" N |
| 5 | 80° 4' 11.61" E | 29° 19' 7.13" N |
| 6 | 80° 4' 13.87" E | 29° 19' 8.72" N |
| 7 | 80° 4' 15.75" E | 29° 19' 7.65" N |
| 8 | 80° 4' 17.13" E | 29° 19' 7.74" N |
| 9 | 80° 4' 16.84" E | 29° 19' 5.6" N |
| 10 | 80° 4' 14.98" E | 29° 19' 4.68" N |
| 11 | 80° 4' 16.42" E | 29° 19' 4.45" N |
| 12 | 80° 4' 13.52" E | 29° 19' 3.62" N |
| 13 | 80° 4' 13.51" E | 29° 19' 2.22" N |
| 14 | 80° 4' 14.36" E | 29° 19' 0.23" N |
| 15 | 80° 4' 11.54" E | 29° 19' 0.17" N |
| 16 | 80° 4' 18.23" E | 29° 19' 9.51" N |
| 17 | 80° 4' 20.47" E | 29° 19' 7.5" N |
| 18 | 80° 4' 23.63" E | 29° 19' 4.83" N |
| 19 | 80° 4' 24.99" E | 29° 19' 1.24" N |
| 20 | 80° 4' 20.95" E | 29° 19' 0.36" N |
| 21 | 80° 4' 16.72" E | 29° 18' 59.47" N |
| 22 | 80° 4' 17.5" E | 29° 19' 1.82" N |
| 23 | 80° 4' 17.59" E | 29° 19' 4.36" N |
| 24 | 80° 4' 18.3" E | 29° 19' 6.17" N |
| 25 | 80° 4' 17.64" E | 29° 19' 7.58" N |

Legend


- GPS Coordinates
- Plantation Site


प्रभागीय वन अधिकारी
 चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत
 वन बा अधिकारी
 चम्पावत वन क्षेत्र
 Prepared by: ITGC, PCCF Office, Dehradun
 जनपद चम्पावत


प्रपत्र-1

परियोजना का नाम : चम्पावत मे पी०एम०जी०एस०वाई० के अंतर्गत नरसिंह डांडा भगीना भण्डारीमोटर मार्ग
सम्बाई 7.000 कि०मी०के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव ।

प्रमाणित किया जाता है कि निर्माण कार्य के दौरान वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी ।


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०वर्क्स
पी०आई०यू० चम्पावत



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०वर्क्स
पी०आई०यू० चम्पावत



अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०वर्क्स
पी०आई०यू० चम्पावत


प्रपत्र-2

परियोजना का नाम : चम्पावत मे पी०एम०जी०एस०वाई० के अंतर्गत नरसिंह डांडा भगीना भण्डारीमोटर मार्ग लम्बाई 7.000 कि०मी०के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव ।

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्राप्त हो जाने के बाद ही वन भूमि ली जाएगी ।


कृषि अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०वर्क्स
पी०आई०यू० चम्पावत


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०वर्क्स
पी०आई०यू० चम्पावत


अतिरिक्त अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०वर्क्स
पी०आई०यू० चम्पावत

कार्यालय तहसीलदार चम्पावत।
संख्या-705/क्ष0भू0प्रस्ता0(ए0का0)/2025-28 दिनांक 04 अक्टूबर, 2025

सोया मे,

जिलाधिकारी,
चम्पावत।

विषय:- जनपद चम्पावत के अन्तर्गत प्रस्तावित नरसिंहडाडा से भगीनाभण्डारी मोटर मार्ग में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु याचित भूमि के संबंध में।

महोदय,

कृपया, उपरोक्त विषयक कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत के पत्र संख्या 1040/12-1 दिनांक 26.08.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के क्रम में ग्राम पत्तों में नरसिंहडाडा से भगीनाभण्डारी मोटर मार्ग में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त पत्र के क्रम में राजस्व निरीक्षक स्वाला एवं राजस्व उप निरीक्षक पत्तों से जांच करवाई गयी, प्राप्त जॉच आख्यानुसार नरसिंहडाडा से भगीनाभण्डारी मोटर मार्ग में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु राजस्व विभाग, वन विभाग एवं याचक विभाग के प्रतिनिधि की उपस्थिति में ग्राम पत्तों के खतौनी खाता संख्या 163 बसरा नम्बर 02 के खसरा संख्या 14 मध्ये 3.725हे0 एवं खसरा संख्या 18 मध्ये 3.115हे0 कुल रकवा 6.840हे0 भूमि का संयुक्त निरीक्षण आख्या संलग्न है। संयुक्त निरीक्षण आख्या संलग्न है। संयुक्त निरीक्षण में ग्राम पत्तों के खतौनी खाता संख्या 163 बसरा नम्बर 02 के खसरा संख्या 14 मध्ये 3.725हे0 एवं खसरा संख्या 18 मध्ये 3.115हे0 कुल रकवा 6.840हे0 भूमि को उपर्युक्त पाया गया। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्रेणी- 9(3) क- वन पंचायत अन्तर्गत अभिलेख दर्ज है। उक्त भूमि में छिन्न-भिन्न रूप में बॉज वृक्ष व झाड़ियों होनी पायी गयी है। उक्त भूमि का मौके मे के0एम0एल0 तैयार की गयी है। उक्त भूमि में मंदिर, गरिजद, शमशान, एवं कब्रिस्तान अवस्थित नहीं है एव भूमि में विद्वृत हाई टेंशन लाइन नहीं है। उक्त भूमि का मौका नक्शा, मौका खसरा एवं नकल खतौनी 3-3 प्रतियों मे संलग्न है। उक्त भूमि को मौका नक्शा में गुलाबी रंग की रोशनाई से दर्शाया गया है।


खेत नम्बर 14 की चौहद्दी निम्न प्रकार है-

- 1- पूरब- हिंगला देवी मोटर मार्ग।
- 2- पश्चिम- हिंगला देवी से पत्तों जाने वाला मोटर मार्ग।
- 3- उत्तर- रौली।
- 4- दक्षिण- वन पंचायत की भूमि।

खेत नम्बर 18 की चौहद्दी निम्न प्रकार है-

- 1- पूरब- गौचार की भूमि।
- 2- पश्चिम- ललुवापानी-वनलेख मोटर मार्ग।
- 3- उत्तर- रौली।
- 4- दक्षिण- वन पंचायत की भूमि।

अतः ग्राम पत्तों के खतौनी खाता संख्या 163 बसरा नम्बर 02 के खसरा संख्या 14 मध्ये 3.725हे0 एवं खसरा संख्या 18 मध्ये 3.115हे0 कुल रकवा 6.840हे0 9(3) क- वन पंचायत के रूप में दर्ज भूमि को नरसिंहडाडा से भगीनाभण्डारी मोटर मार्ग में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव संस्तुति सहित सादर सोवा में प्रेषित।

भवदीय,

तहसीलदार
चम्पावत।

महोदय,

तहसीलदार, चम्पावत की आख्या संस्तुति सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रसारित।

उप जिलाधिकारी
सदर, चम्पावत।

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
चम्पावत।

सेवा में,

प्रबंधक,
पी0आई0यू0 चम्पावत,
एन0पी0सी0ली0।

दिनांक 10 अक्टूबर, 2025।

संख्या:- 102 /VII-भूलेख/सी0ए0लैण्ड-प्रस्ताव/2025-26.

विषय:- जनपद चम्पावत के अन्तर्गत प्रस्तावित नरसिंहडांडा रो भगीनामण्डारी मोटर मार्ग में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु याचित भूमि के सम्यन्ध में।

महोदय,


उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:- उ0प्र0जो0/453/25-26/435, दिनांक 08.08.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, उक्त के क्रम में उपजिलाधिकारी चम्पावत की आख्यानूसार जनपद चम्पावत अन्तर्गत प्रस्तावित नरसिंहडांडा से भगीनामण्डारी मोटर मार्ग में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि चयन के सम्यन्ध में राजस्व विभाग, वन विभाग, याचक विभाग द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण उपरान्त क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त चयनित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-

| क्र.सं. | तहसील का नाम | राजस्व ग्राम/वन पंचायत का नाम | खतीनी खाता संख्या | श्रेणी | खेत/खसरा संख्या | कुल क्षेत्रफल(हे0) | वन विभाग/राजस्व विभाग द्वारा सी0ए0 लैण्ड हेतु प्रस्तावित भूमि(हे0) |
|---------|--------------|-------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | चम्पावत | पल्सों | 163 | 9(3) क-वन पंचायत | 14 | 6.698 | 3.725 |
| | | | | योग | 18 | 3.265 | 3.115 |
| | | | | | 02 | 9.903 | 6.840 |


अतः उपरोक्तानुसार 6.840 हे0 सी0ए0 लैण्ड का प्रस्ताव अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रेषित।

संलग्न:- उपजिलाधिकारी चम्पावत द्वारा उपलब्ध सी0ए0 लैण्ड प्रस्ताव।


 अपर जिलाधिकारी,
चम्पावत।

प्रतिलिपि:- प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग चम्पावत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


 अपर जिलाधिकारी,
चम्पावत।


प्रारूप-50

परियोजना का नाम :- जनपद चम्पावत में पीएमजीएरावाई के अंतर्गत नरसिंह डांडा से भगीना भण्डारी मोटर मार्ग का निर्माण

एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन


प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05-02-2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन०पी०वी० की देयता निम्नानुसार है :-

01. ईको - क्लास श्रेणी - V
02. हरियाली का घनत्व - 0.20
03. एन०पी०वी० की दर प्रति हे० - 657000.00
04. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल - 3.420 हे०
05. कुल देय एन०पी०वी० की धनराशि - 2246940.00


प्रभागायुक्त वनाधिकारी
जनपद चम्पावत

महासचिव
पी०एम०जी०ए०वा०
चम्पावत

पी०एम०जी०ए०वा०
चम्पावत


वन क्षेत्राधिकारी
भिगराड़ा वनक्षेत्र
चम्पावत

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत

Email: dfo.champawat@rediffmail.com

पत्रांक

1732/ 12-1

दिनांक, चम्पावत

12-1-2020

सेवा में

जन्म प्रबंधक,

पी०आई०यू० चम्पावत,
एन०पी०सी०सी०लि०

विषय-

जनपद चम्पावत में पी०एम०जी०एस०वाई० के अन्तर्गत नरसिहडोंडा भगीना भण्डारी मोटर मार्ग हेतु 3.42 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव सं०FP/UK/ROAD/18336/2016)

संदर्भ-

आपका पत्रांक 84 /UKD/453/OMGSY/2020 date 31-12-2020.


महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में उक्त मोटर मार्ग में (नरसिह डोंडा से भगीना भण्डारी तक मोटर मार्ग) में जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है।

| क्र० सं० | विवरण | ईकाई | दर | जमा की जाने वाली धनराशि |
|----------|-----------------------|-------------------------------|-----------|-------------------------|
| 1 | एन०पी०सी० | 3.42 (घनत्व 0.20 ईको क्लास 5) | 657000.00 | 2246940.00 |
| 2 | क्षतिपूर्क वृक्षारोपण | 6.84 हे० | 337184.00 | 2306338.00 |

अतः कृपया उक्त डिमाण्ड नोट ऑनलाईन अपलोड कर नोडल कार्यालय द्वारा डिमाण्ड नोट का सत्यापन के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय


प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत

| AGENCY COPY | |
|---|--|
| NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA | |
| Date : 25-01-2021 | |
| Agency Name. | PMGSY |
| Application No. | 6118336336 |
| MoEF/SG File No. | 8B/UCP/06/169/2019/FC |
| Location. | UTTARANCHAL |
| Address. | OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, IRRIGATION DIVISION (P.W.D.)CHAMPAWATChampawat |
| Amount(In Rs) | 4553278/- |
| Amount in Words :Forty-Five Lakh Fifty-Three Thousand Two Hundred and Seventy-Eight Rupees Only | |
| NEFT/RTGS to be made as per following details; | |
| Beneficiary Name: | UTTARANCHAL CAMPA |
| IFSC Code: | CORP0000371 |
| Pay to Account No. | 150896118336336 Valid only for this challan amount. |
| Bank Name & Address: | Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003 |
| • This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only | |


| BANK COPY | |
|---|--|
| NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA | |
| Date : 25-01-2021 | |
| Agency Name. | PMGSY |
| Application No. | 6118336336 |
| MoEF/SG File No. | 8B/UCP/06/169/2019/FC |
| Location. | UTTARANCHAL |
| Address: | OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, IRRIGATION DIVISION (P.W.D.)CHAMPAWAT Champawat |
| Amount(In Rs) | 4553278/- |
| Amount in Words :Forty-Five Lakh Fifty-Three Thousand Two Hundred and Seventy-Eight Rupees Only | |
| NEFT/RTGS to be made as per following details; | |
| Beneficiary Name: | UTTARANCHAL CAMPA |
| IFSC Code: | CORP0000371 |
| Pay to Account No. | 150896118336336 Valid only for this challan amount. |
| Bank Name & Address: | Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003 |
| • This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only | |

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskampa@corpbank.co.in


प्रपत्र-4(ख)

परियोजना का नाम : चम्पावत मे पी०एम०जी०एस०वाई० के अंतर्गत नरसिंह डांडा भगीना भण्डारीमोटर मार्ग लम्बाई 7.000 कि०मी०के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव ।

प्रमाणित किया जाता है कि विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रत्यावर्तित वन के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, अंतिम रूप देने के बाद देय हो यदि कोई वह भुगतान कर दिया जाएगा ।



कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०वर्क्स
पी०आई०यू० चम्पावत



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०वर्क्स
पी०आई०यू० चम्पावत





अधीनस्थ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०वर्क्स
पी०आई०यू० चम्पावत


प्रपत्र-5

परियोजना का नाम : चम्पावत में पी०एम०जी०एस०वाई० के अंतर्गत नरसिंह डांडा भगीना भण्डारीमोटर मार्ग लम्बाई 7.000 कि०मी०के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव ।

प्रमाणित किया जाता है किप्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 167 trees and 47 saplings से अधिक नहीं होगी तथा पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे । राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा करा दी जाएगी ।


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०वर्क्स
पी०आई०यू० चम्पावत



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०वर्क्स
पी०आई०यू० चम्पावत



अभिज्ञानी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०वर्क्स
पी०आई०यू० चम्पावत


प्रपत्र-6

परियोजना का नाम : चम्पावत मे पी०एम०जी०एस०वाई० के अंतर्गत नरसिंह डांडा भगीना भण्डारी मोटर मार्ग लम्बाई 7.000 कि०मी०के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव ।

प्रमाणित किया जाता है किपरियोजना के तहत धन केवल ई- पोर्टल (<http://parivesh-nic.in/>) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानतरित /जमा किए जाएंगे ।


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०वर्क्स
पी०आई०यू० चम्पावत


सहस्रक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०वर्क्स
पी०आई०यू० चम्पावत


अधिसूची अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०वर्क्स
पी०आई०यू० चम्पावत

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

Email:-dfo.champawat@redidmail.com 22/Fax-(05965)230375

पत्रांक

3035

/9-1-3

चम्पावत,

दिनांक

13-4-

2022

सेवा में

प्रभागीय लीगिंग प्रबन्धक,
उत्तराखण्ड वन विकास निगम,
पिथौरागढ़।

विषय-

जनपद-चम्पावत में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत नरसिंह डांडा से भगीना मोटर मार्ग में आने वाले वृक्षों के छपान व कटान कार्य किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उक्त विषय के क्रम में आपको सूचित किया जाता है कि वर्ष 2022-23 में जनपद-चम्पावत में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत नरसिंह डांडा से भगीना मोटर मार्ग में आने वाले वृक्षों का छपान कर, छपान सूची निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। लीटों के निस्तारण की अवधि दिनांक 30.04.2023 तक है। लीटों का हस्तान्तरण कर फायर सीजन से पूर्व धिरान-कटान-दुलान आदि पूर्ण कराने का प्रयास किया जाय।

| लीट संख्या | लीट का विवरण | रेंज | लीगिंग प्रभाग |
|------------|-------------------------|-----------|---------------|
| 01/2022-23 | भगीना भण्डारी सिविल | भिंगराड़ा | पिथौरागढ़ |
| 02/2022-23 | गड़कोट सिविल | भिंगराड़ा | पिथौरागढ़ |
| 03/2022-23 | भगीना भण्डारी वन पंचायत | भिंगराड़ा | पिथौरागढ़ |
| 04/2022-23 | बड़पास वन पंचायत | भिंगराड़ा | पिथौरागढ़ |
| 05/2022-23 | भगीना भण्डारी नाप भूमि | भिंगराड़ा | पिथौरागढ़ |
| 06/2022-23 | गड़कोट नाप भूमि | भिंगराड़ा | पिथौरागढ़ |
| 07/2022-23 | बड़पास नाप भूमि | भिंगराड़ा | पिथौरागढ़ |

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

प्रबन्धक,
Prady

प्रभागीय वनाधिकारी,

चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

पत्रांक

3035

दिनांकित।

प्रतिलिपि:- वन संरक्षक महोदय, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा को सूचनाएं प्रेषित।

संलग्नक-

उपरोक्तानुसार।

Prady

प्रभागीय वनाधिकारी,

चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

पत्रांक

3035

दिनांकित।

प्रतिलिपि:- उप प्रभागीय वनाधिकारी, लोहाघाट को उपरोक्तानुसार सूचनाएं तथा क्षेत्र भ्रमण के समय लीटों में चल रहे धिरान-कटान-दुलान कार्य का भी निरीक्षण किया जाय।

Prady

प्रभागीय वनाधिकारी,

चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

पत्रांक

3035

दिनांकित।

प्रतिलिपि:- वन क्षेत्राधिकारी, भिंगराड़ा को उपरोक्तानुसार लीट संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि लीटों को शीघ्रतः वन विकास निगम को हस्तान्तरित कर सूचना इस कार्यालय को दें। लीटों में किये जा रहे धिरान-कटान-दुलान का समय-समय पर निरीक्षण करते रहें। किसी प्रकार का अर्ध कार्य न होने पावे। लीटों में उत्पादित प्रकाष्ठ का सी-4ए प्रत्येक मांड इस कार्यालय को दें।

प्रभागीय वनाधिकारी,

चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।


Lout Details (9-1-3)


69


प्रपत्र-0

परियोजना का नाम : चम्पावत में पी०एम०जी०एस०वाई० के अंतर्गत नरसिंह डांडा भगीना भण्डारी मोटर मार्ग
लम्बाई 7.000 कि०मी०के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव ।

प्रमाणित किया जाता है कि एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित
प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा ।


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०वर्क्स
पी०आई०यू० चम्पावत



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०वर्क्स
पी०आई०यू० चम्पावत



अधिशेखी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०वर्क्स
पी०आई०यू० चम्पावत


प्रपत्र-9

परियोजना का नाम : चम्पावत से पी०एम०जी०एस०वाई० के अंतर्गत नरसिंह डांडा भगीना भण्डारी मोटर मार्ग लम्बाई 7.000 कि०मी०के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव ।

प्रमाणित किया जाता है कि कार्य पूर्ण होने पर आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ायी जाएगी ।


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०वर्क्स
पी०आई०यू० चम्पावत



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०वर्क्स
पी०आई०यू० चम्पावत



अभिजीवी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०वर्क्स
पी०आई०यू० चम्पावत


प्रपत्र-10

परियोजना का नाम : चम्पावत में पी०एम०जी०एस०वाई० के अंतर्गत नरसिंह डांडा भगीना भण्डारी मोटर मार्ग लम्बाई 7.000 कि०मी०के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव ।

प्रमाणित किया जाता है किमोटर मार्ग का कार्य पूर्ण होने पर सरंक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे ।


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०वर्क्स
पी०आई०यू० चम्पावत



सहस्यक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०वर्क्स
पी०आई०यू० चम्पावत


अभिज्ञासि अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०वर्क्स
पी०आई०यू० चम्पावत

प्रपत्र-11

परियोजना का नाम : चम्पावत में पी०एम०जी०एस०वाई० के अंतर्गत नरसिंह डांडा भगीना भण्डारी मोटर मार्ग लम्बाई 7.000 कि०मी०के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव ।

प्रमाणित किया जाता है कि यदि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू होती है तो उसको प्राप्त किया जाएगा ।



कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०वर्क्स
पी०आई०यू० चम्पावत



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०वर्क्स
पी०आई०यू० चम्पावत





अधिवक्ता अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०वर्क्स
पी०आई०यू० चम्पावत


प्रपत्र-12

परियोजना का नाम : चम्पावत में पी०एम०जी०एस०वाई० के अंतर्गत नरसिंह डांडा भगीना भण्डारी मोटर मार्ग लम्बाई 7.000 कि०मी०के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव ।

प्रमाणित किया जाता है कि केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा ।


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०वर्क्स
पी०आई०यू० चम्पावत



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०वर्क्स
पी०आई०यू० चम्पावत



अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०वर्क्स
पी०आई०यू० चम्पावत


प्रपत्र-13

परियोजना का नाम : चम्पावत में पी०एम०जी०एस०वाई० के अंतर्गत नरसिंह डांडा भगीना भण्डारी मोटर मार्ग लम्बाई 7.000 कि०मी०के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव ।

प्रमाणित किया जाता है कि निर्माण कार्य के दौरान वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा ।


कानूनी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०वर्क्स
पी०आई०यू० चम्पावत



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०वर्क्स
पी०आई०यू० चम्पावत


अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०वर्क्स
पी०आई०यू० चम्पावत

प्रपत्र-14

परियोजना का नाम : चम्पावत में पी०एम०जी०एस०वाई० के अंतर्गत नरसिंह डांडा भगीना भण्डारी मोटर मार्ग लम्बाई 7.000 कि०मी०के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव ।

प्रमाणित किया जाता है कि निर्माण कार्य के दौरान मजदूरों को राज्तीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा ।



कर्मिणी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०वर्क
पी०आई०यू० चम्पावत



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०वर्क
पी०आई०यू० चम्पावत





अधिसूत्री अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०वर्क
पी०आई०यू० चम्पावत


प्रपत्र-15

परियोजना का नाम : चम्पावत में पी०एम०जी०एस०वाई० के अंतर्गत नरसिंह डांडा भगीना भण्डारी मोटर मार्ग लम्बाई 7.000 कि०मी०के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव ।

प्रमाणित किया जाता है कि संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा ।


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०वर्क्स
पी०आई०यू० चम्पावत



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०वर्क्स
पी०आई०यू० चम्पावत



अधिसूत्री अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०वर्क्स
पी०आई०यू० चम्पावत


प्रपत्र-16

परियोजना का नाम : चम्पावत मे पी०एम०जी०एस०वाई० के अंतर्गत नरसिंह डांडा भगीना भण्डारी मोटर मार्ग लम्बाई 7.000 कि०मी०के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव ।

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा ।


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०वर्क्स
पी०आई०यू० चम्पावत



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०वर्क्स
पी०आई०यू० चम्पावत



अधीनस्थ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०वर्क्स
पी०आई०यू० चम्पावत


प्रपत्र-17

परियोजना का नाम : चम्पावत मे पी०एम०जी०एस०वाई० के अंतर्गत नरसिंह डांडा भगीना भण्डारी मोटर मार्ग लम्बाई 7.000 कि०मी०के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव ।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु उपयोग नहीं किया किया जाएगा ।


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०वर्क्स
पी०आई०यू० चम्पावत



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०वर्क्स
पी०आई०यू० चम्पावत


अध्यापक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०वर्क्स
पी०आई०यू० चम्पावत


प्रपत्र-18

परियोजना का नाम : चम्पावत मे पी0एम0जी0एस0वाई0 के अंतर्गत नरसिंह डांडा भगीना भण्डारी मोटर मार्ग लम्बाई 7.000 कि0मी0के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव ।

प्रमाणित किया जाता है कि केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजंसियों , विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरण नहीं किया जाएगा ।



कनिष्ठ अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0वर्क्स
पी0आई0यू0 चम्पावत



सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0वर्क्स
पी0आई0यू0 चम्पावत




अधिसूत्री अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0वर्क्स
पी0आई0यू0 चम्पावत


प्रपत्र-१९

परियोजना का नाम : चम्पावत में पी०एम०जी०एस०वाई० के अंतर्गत नरसिंह डांडा भगीना भण्डारी मोटर मार्ग लम्बाई ७.००० कि०मी०के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव ।

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धांतिक स्वीकृति में उल्लिखित से किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया जाएगा ।


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०वर्क्स
पी०आई०यू० चम्पावत



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०वर्क्स
पी०आई०यू० चम्पावत



अधिसूची अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०वर्क्स
पी०आई०यू० चम्पावत


प्रपत्र-20

परियोजना का नाम : चम्पावत में पी०एम०जी०एस०वाई० के अंतर्गत नरसिंह डांडा भगीना भण्डारी मोटर मार्ग लम्बाई 7.000 कि०मी०के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव ।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय- समय पर निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया जाएगा।


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०वर्क्स
पी०आई०यू० चम्पावत


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०वर्क्स
पी०आई०यू० चम्पावत



अधिसूत्री अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०वर्क्स
पी०आई०यू० चम्पावत


प्रपत्र-21

परियोजना का नाम : चम्पावत में पी०एम०जी०एस०वाई० के अंतर्गत नरसिंह डांडा भगीना भण्डारी मोटर मार्ग लम्बाई 7.000 कि०मी०के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव ।

प्रमाणित किया जाता है कि पूर्वोक्ति स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण किया जाएगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दिवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में दृक्षों की कटाई नहीं की जाएगी।


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०वर्क्स
पी०आई०यू० चम्पावत



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०वर्क्स
पी०आई०यू० चम्पावत


अध्यक्ष अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०वर्क्स
पी०आई०यू० चम्पावत

प्रपत्र-22

परियोजना का नाम : चम्पावत मे पी०एम०जी०एस०वाई० के अंतर्गत नरसिंह डांडा भगीना भण्डारी मोटर मार्ग लम्बाई 7.000 कि०मी०के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव ।

प्रमाणित किया जाता है कि यदि कोई अन्य संबन्धित अधिनियम / अनुच्छेद/ नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्ता एजेसी की जिम्मेवारी होगी ।



कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०वर्क्स
पी०आई०यू० चम्पावत



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०वर्क्स
पी०आई०यू० चम्पावत



अभियांती अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०वर्क्स
पी०आई०यू० चम्पावत